न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–07/2025 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2104)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर –प्रार्थी

बनाम

1. श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता) मैसर्स– नीलकंठ स्वीट् हाउस, केशव कॉलोनी, 8 पीएसडी रावला

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

–:निर्णयः– दिनांकः–25.03.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51,** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 25.10.2024 को समय **03:40 पीएम बजे** पर श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 21.10.2024 द्वारा गठित फूड सैम्पलिंग हेतु टीम के साथ मैसर्स– **मैसर्स–नीलकंठ स्वीट् हाउस, केशव कॉलोनी, 8 पीएसडी रावला** पर निरीक्षण हेतु पहंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता) को** अपना परिचय देकर संस्थान में 30 टिन में रखे लगभग 540 किलो मावा मिठाई के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में रखे लगभग 540 किलो मावा मिठाई को आमजन मे बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 30 टिन में रखे लगभग 540 किलो मावा मिठाई में से एक टिन से (500 ग्राम X 4=2000 ग्राम) 02 किलो मावा मिठाई का नगद भुगतान 600 रूपये किया तथा कैशमिमों बनवा लिया। जिस पर विक्रेता **श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता)** व स्वयं के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **(500 ग्राम X 4=2000 ग्राम) 02 किलो मावा मिठाई** को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बें में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये ओर चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2560** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2560** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नीलकंठ एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2024/1270-72 दिनांक 19.11.2024** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा मिठाई का नमूना S Unsafe food inder section3(1)(zz)(iv)and 3(1)(zz)(vi) of Safety and Standard Act-2006, as extracted Fat(Ghee) is wholly Substituted by any inferior or cheaper substance** होना पाया गया।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं रेफरल लैब से पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2024/1270-72 दिनांक 19.11.2024** द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया नमूना खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा पुनः रेफरल लैब से जांच करवाने का आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1441 दिनांक 13.12.2024 को नमूना जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भेजा गया। अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतुराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 13.02.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/246–47 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता) मैसर्स–नीलकंठ स्वीट् हाउस, केशव कॉलोनी, 8 पीएसडी रावला** से खाद्य पदार्थ **मावा मिठाई, Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि प्रार्थी के संस्थान का निरीक्षण कर 540 किलोग्राम मावा मिठाई में मिलावट का शक होने पर जांच हेतु भिजवाया गया जो बाद जांच मावा मिठाई नमूना सब स्टेण्डर्ड बताए गए है। प्रार्थी सद्भाविक है प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करेगा और ना ही अपने संस्थान में सब स्टेण्डर्ड की मिठाई व मावा का प्रयोग करेगा। प्रार्थी पर पूर्व में कोई दोषसिद्धि नही है। ऐसी स्थिति में नोटिस की कार्यवाही विधि विरूद्ध होने के कारण मौजूदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी पर रहम दिली फरमाई जाकर प्रार्थी का प्रकरण का निस्तारण फरमावा जावें।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **मावा मिठाई** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **L.S.1427/Act/2024/1427 दिनांक 06.11.2024** में खाद्य पदार्थ **मावा मिठाई** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना **के–2560 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **मावा मिठाई हेतु श्री नीलकंठ प्रसाद पुत्र श्री बंधन महतो (मालिक व विक्रेता) मैसर्स– नीलकंठ स्वीट् हाउस, केशव कॉलोनी, 8 पीएसडी रावला को 5000/–(पांच हजार रूपये)** रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–25.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अनूपगढ